दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारों की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है वादी अपने हिस्से की भूमि का कब्जा अनुसार विधिवत विभाजन करवाना चाहता है। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम खेदड़ा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख०न० - 1108, 1109, 1110 किता-3 का कुल रकबा 0.90है. में वादी का दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री प्रथम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-6-18 को कैम्प कोर्ट गुढ़ागौड़जी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner